12.24

फर्द अहकाम

(नियम 26)

राजस्व विविध प्रकरण जीसीएमएस नंबर 2021/123 बअनवान मीनाक्षी बनाम देवाराम वगैरा
प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
18/06/25	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। उभयपक्ष वकुलाय की टी.आई. प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन से ज्ञात है कि ग्राम कोठार के खसरा नंबर 532 रकबा 0.43 हैक्टर देवाराम पुत्र भलाराम अप्रार्थी संख्या 01 के नाम तथा ग्राम कोठार के खसरा नंबर 455 रकबा 0.37 हैक्टर के 1/2 हिस्सा के सहखातेदार अप्रार्थी संख्या 01 देवाराम पुत्र भलाराम दर्ज है। पत्रावली पर उपलब्ध मिसल बंदोबस्त संवत 2037 से 2056 में दर्ज इन्द्राज के अनुसार कोठार के खसरा नंबर 432 भला वल्द सवा के नाम की खातेदारी रही है। प्रार्थीया ने उक्त भूमि अपने दादा देवाराम पुत्र भलारामजी की होने से पुश्तैनी भूमि में जन्म से हक अधिकार होने से 1/2 हिस्सा की घोषणा खातेदारी व सार्वकालिक निषेधाज्ञा का वाद पेश किया है। परंतु वाद के लंबित रहते हुये अप्रार्थीगण द्वारा भूमि बेचान एवं खुर्द बुर्द किये जाने की आशंका है। जिससे प्रार्थीया द्वारा अपनी माता शांति के माध्यम से उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर वादग्रस्त आराजी को वाद के निर्णय तक बेचान/बख्शीश व अन्य किसी प्रकार से हस्तांतरित नहीं किये जाने के लिये अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने की मांग की गई हैं। अप्रार्थीगण द्वारा भूमि को पुश्तैनी बताते हुये प्रार्थीया का हक नहीं होना वर्णित करते हुये प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की दलील दी गई है। परंतु विधिक प्रावधानों के अनुसार प्रार्थीया का अपने दादा की संपत्ति में हक अधिकार जन्म से उत्पन्न हो गया हैं। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं पर प्रकरण का परीक्षण किये जाने के पश्चात प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाना न्यायसंगत है। अतः वादग्रस्त भूमि ग्राम कोठार के खसरा नंबर 532 रकबा 0.43 हैक्टर संपूर्ण एंव खसरा नंबर 455 रकबा 0.37 हैक्टर में दर्ज प्रतिवादी संख्या 01 का 1/2 हिस्सा के संबंध में प्रार्थीया के पक्ष में व अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय कि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण वाद के निर्णय तक वादग्रस्त भूमि का बेचान/बख्शीश व अन्य किसी प्रकार से हस्तांतरण नहीं करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।	

कार्यालय उप-खण्ड अधिकारी जिला-पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, पाली

Scanned with CamScanner